In case of gold, silver and narcotics, specific rates of reward related to weight & purity of goods seized, have been prescribed as follows:—

(a) Gold	Rs. 500/- per 10 grams
(b) Silver	Rs. 1000/- per Kg.
(c) Opium	Rs. 220/- per Kg.
(d) Morphine	Rs. 8000/- per Kg.
(e) Heroin	Rs. 20,000/- per Kg.
(f) Cocaine	Rs. 40,000/- per Kg.
(g) Hashish	Rs. 400/- per Kg.
(h) Ganja	Rs. 80/- per Kg.

Eight cases of reward are pending as on 31.12.1996 for payment to informers who gave information of smuggled goods in Saurashtra and Kutch regions of Gujarat. Out of these eight cases, advance reward in seven cases has been disbursed.

कुछ मंत्रालयों को समाप्त करने के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिश

***58. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने कुछ मंत्रालयों को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ये मंत्रालय कौन-कौन से हैं;

(ग) इन मंत्रालयों को समाप्त करने के संबंध में वेतन आयोग द्वारा क्या औचित्य बताया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (घ) सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से उसका पुनर्गठन करने की दृष्टि से पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को समाप्त करने, योजना आयोग का आकार घटाने तथा कुछ एक विद्यमान विभागों के पुनर्निश्रण/विलय की सिफारिश की है। पुनर्निश्रण/विलय के लिए सुझाए गए विभागों की सूची विवरण में है। **(नीचे देखिए)**

सरकार ने आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

क्र॰सं॰	विलीन किए जाने वाले विभाग	मंत्रालय/विभाग जिनमें विलय किया जाना है
1.	प्रशासनिक सुधार विभाग	मंत्रिमण्डल सचिवालय
2.	पशु-पालन और मतस्य पालन	कृषि एवं सहकारिता विभाग (कृषि विभाग के नाम से जाना जाएगा)
3.	जम्मू और कश्मीर विभाग राजभाषा और अंतर्राज्जीय परिषद	गृह मंत्रालय
4.	उपभोक्ता मामले विभाग	नागरिक आपूर्ति एवं लोक वितरण विभाग
	[illegible]भाग	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
6.	परिवार कल्याण विभाग, भारतीय औषध और होम्योपैथी प्रणाली	स्वास्थ्य विभाग
7.	औद्योगिक नीति एवं प्रगति विभाग, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक उद्यम, भारी उद्योग लघु उद्योग, कृषि-ग्रामीण उद्योग, और वस्त्र मंत्रालय	सभी को मिलाकर एक नए विभाग- औद्योगिक विकास [illegible]ाग के रूप में जाना जाएगा।
8.	संस्कृति, युवा मामले और खेल विभाग, महिला एवं शिशु विकास	शिक्षा विभाग
9.	खाद्य अधिप्राप्ति और वितरण, खाद्य संसाधन उद्योग	खाद्य विभाग
10.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	विद्युत विभाग
11.	ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन विकास, बंजर भूमि विकास	ग्रामीण विकास विभाग
12.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	शहरी विकास विभाग
13.	सांख्यिकी विभाग	योजना विभाग
14.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा	केन्द्रीय सतर्कता आयोग